



भा0कृ0अ0प0-केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान  
अविकानगर ( मालपुरा जिला टोंक )वाया जयपुर राजस्थान (भारत) 304501  
ICAR- CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE  
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN 304501



फा0सं0 4(2)प्रशा01/आरटीआई/2018/ 1707

दिनांक : 22-03-2018

निमित्त

कृ0 भूपभा पुत्री श्री चेतन स्वरूप शर्मा,  
निवासी-39, मोतीविहार, बाग रोहता, ग्वालियर रोड,  
आगरा (उत्तर प्रदेश) पिन-282009

विषय:- लोक सूचना अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 08/02/2018 व 09/02/2018 के सन्दर्भ में बिन्दुवार जवाब निम्न

प्रकार है-

क्र0सं0	चाही गई सूचना	चाही गई सूचना का प्रति उत्तर
1-	कृपया श्री दुष्यन्त कुमार की वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति से पूर्व कोई पुलिस जांच की गई थी या नहीं? यदि हाँ, तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें।	चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सभी वैज्ञानिकों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा करवाया जाता है।
2-	श्री दुष्यन्त कुमार की प्रवेशन काल की रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें।	आर0टी0आई0 नियम 8 (1)(जे) के तहत व्यक्तिगत होने के कारण नहीं दी जा सकती।
3-	श्री दुष्यन्त कुमार के विरुद्ध मेरे पत्र दिनांक 29/05/2017, दिनांक 01/01/2018 एवं दिनांक 29/01/2018 एवं एफ0आई0आर0, अपराध सं0 0049/2017 दिनांक 27/03/2017 में वर्णित तथ्यों में से किन-किन तथ्यों की सूचनाएँ श्री दुष्यन्त कुमार ने विभाग को कब दी और किन-किन तथ्यों को विभाग से अब तक छिपाया, से कृपया सूचित करें।	आपके पत्रों के प्रतिउत्तर संस्थान के पत्रांक क्रमांक फा0सं0 4(32)Adm.I/06/Vol.IX/ दिनांक: 07/11-09-2017 के द्वारा व यहाँ सीधे प्राप्त पत्रों का पत्रोत्तर समय-समय पर भिजवा दिये गये है।
4-	श्री दुष्यन्त कुमार द्वारा दूसरी जगह से शादी करने पर उन्होंने वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन किया है या नहीं। जिसके कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी या नहीं से कृपया सूचित करें।	व्यक्तिगत प्रकरण होने के कारण संस्थान से संबंधित नहीं है।
5-	तथ्यों को छिपाने पर श्री दुष्यन्त कुमार के विरुद्ध सी0सी0एस0 रूल 1964 के अन्तर्गत कोई अपराध बनता है या नहीं से कृपया सूचित करें।	व्यक्तिगत प्रकरण होने के कारण अपराध का निर्धारण करना संस्थान के क्षेत्राधिकार में नहीं है।
6-	उनके आवेदन उल्लेखित (अ)(ब)(स)(द) सन्दर्भों/शिकायतों के आधार पर, सम्बन्धित विभागों को उपरोक्त कार्यालय द्वारा भेजे गये पत्रों एवं उनके आधार पर विभागों द्वारा श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों से सूचित करने की कृपा करें। सम्बन्धित पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ भी, उपलब्ध कराने की कृपा करें।	संलग्न प्रति 29/01/2018 एवं ऑन लाईन आवेदन रजिस्ट्रेशन नम्बर CSWRI/R/2018/90001 दिनांक 15/02/2018 एवं उपर्युक्त संदर्भ में लेख है कि आपके पत्रों के प्रतिउत्तर पूर्व में समय-समय पर दिये गये हैं। परिषद् के पत्रों की कॉपी भी दी गयी हैं।
7-	उनके आवेदन उल्लेखित (अ)(ब)(स)(द) सन्दर्भों/शिकायतों के आधार पर श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा के विरुद्ध कोई विभागीय जांच समिति गठित की गई है या नहीं, कृपया सूचित करें। (क्योंकि विभाग श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा को षडयन्त्र पूर्वक कार्यवाही से, बचाना चाहता है, और कोई सूचना नहीं दे रहा है।)	व्यक्तिगत प्रकरण होने के कारण संस्थान से संबंधित नहीं है। अतः यह बिन्दु संस्थान से संबंधित नहीं है।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब के विरुद्ध प्रथम अपील, यदि कोई हो, तो वो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की प्राप्ति के तीस दिनों में प्रथम अपिलियट ऑथोरिटी को अपील कर सकते हैं। प्रथम अपिलियट ऑथोरिटी का नाम, पद, पता, कार्यालय दूरभाष संख्या एवं ई-मेल आई डी निम्नलिखित है:

डॉ० अरुण कुमार, कार्यकारी निदेशक, भा०कृ०अ०प०-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान) पिन-304501, दूरभाष : 01437-220162 (कार्यालय), ई-मेल आई डी: [director.cswri@icar.gov.in](mailto:director.cswri@icar.gov.in)

भवदीय,

*Neeraj*  
22/3/19

(नीरज तँवर)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

Tel. No.: 01437-220177 (Office)

E-mail: [neeraj.tanwar@icar.gov.in](mailto:neeraj.tanwar@icar.gov.in)

प्रति:-

(1) अनुभाग अधिकारी (संस्थान प्रशासन-1), पशु विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र मि०संख्या ए०एस०/7/1/2017 स०प्रशा०-1 दिनांक 16/2/2018 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रस्तुत हैं।

(2) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, अविकानगर को सूचनार्थ प्रेषित है।

✓(3) नोडल ऑफीसर एवं प्रभारी, कृषि ज्ञान प्रबन्धन इकाई को उपर्युक्त सूचनाओं का प्रकाशन संस्थान के लिंक [http://www.cswri.res.in/right\\_to\\_information](http://www.cswri.res.in/right_to_information) पर किये जाने हेतु (ज०सू०अ० के कार्यालय आदेश क्र०स०1(684)पी०आई०ओ०/2017/117 एवं 118 दिनांक 13/02/2018 एवं परिषद् के F.No.(Admn.)1-1/2018-CR(A)&RTI Dated: 30 Jan, 2018 received through mail के संबंध में)।

*Neeraj*  
22/3/18

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी